डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ0प्र0)

DR. RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY, AYODHYA (U.P.)

पत्रांकःलो0अ0वि0 / भण्डार / 759 / 2026 दिनांकः 25.06.2026

कार्यालय ज्ञाप

प्रापक,

M/S PRIME CLEANING SERVICES
GOVINDA BHAWAN, 2ND FLOOR, NEWAL KISHORE ROAD
HAZARATGANJ LUCKNOW,PIN- 226020.

विषयः जेम बिड संख्या GEM/2026/B/7316949 (Sanitation Services) में नियमों के उल्लंघन एवं आदेश स्वीकार न करने के फलस्वरूप आगामी 02 वर्षों के लिए विश्वविद्यालय की समस्त निविदाओं से डिबार (Debarment) किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आप अवगत हैं कि डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद, अयोध्या द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से 98 स्वच्छ कर्मी व 02 सुपरवाइजर की आपूर्ति हेतु जेम (GeM) पोर्टल पर बिड संख्या GEM/2026/B/7316949 दिनांक 03.03.2026 आमंत्रित की गई थी। उक्त निविदा प्रक्रिया के अंतर्गत दिनांक 22.04.2026 को आयोजित रिवर्स ऑक्शन (RA) के उपरांत न्यूनतम एवं समान दरें प्राप्त होने पर जेम पोर्टल द्वारा संचालित स्वचालित 'ऑटो रन' प्रक्रिया के माध्यम से आपकी फर्म PRIME CLEANING SERVICES का चयन प्रथम सफल निविदाकार (L-1) के रूप में हुआ था।

अत्यंत खेद का विषय है कि आपकी फर्म द्वारा उक्त महत्वपूर्ण कार्य के लिए जेम पोर्टल द्वारा जनरेट किए गए आदेश को समयान्तर्गत स्वीकार नहीं किया गया। आपकी फर्म द्वारा जेम प्रक्रिया में त्रुटिपूर्ण धनराशि (रु.7,30,392.69) अंकित कर प्रतिभाग किया गया, जो जेम के बिड नियमों का स्पष्ट उल्लंघन होने के साथ-साथ विश्वविद्यालय की समयबद्ध सफाई व्यवस्था में गंभीर बाधा उत्पन्न करने की श्रेणी में आता है। आपका यह कृत्य भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग, खरीद नीति प्रभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या F.1/20/2018-PPD दिनांक 02.11.2021 ("Guidelines on Debarment of firms from Bidding") के पैरा 5(c) तथा सामान्य वित्तीय नियमावली (GFR), 2017 के नियम 151(iii) व नियम 175 (Code of Integrity) का सीधा उल्लंघन है।

अतः आदेशानुसार, आपकी फर्म मैसर्स PRIME CLEANING SERVICES को इस आदेश के जारी होने की तिथि से आगामी 02 (दो) वर्षों के लिए डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद, अयोध्या द्वारा आमंत्रित की जाने वाली किसी भी प्रकार की निविदा, कोटेशन अथवा ई-प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्णतः प्रतिबंधित/डिबार (Debar/Blacklist) किया जाता है।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि –

1. निजी सचिव, कुलपति को मा,कुलपति जी के अवलोकनार्थ प्रेषित
2. आशुलिपिक, कुलसचिव / वित्त अधिकारी को, कुलसचिव / वित्त अधिकारी जी के सूचनार्थ।
3. पत्रावली।

कुलसचिव